न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 231/2020

प्रार्थी :– 1. नसीर खां पुत्र श्री खम्मे खां जाति सिपाई (मुसलमान) निवासी खनोडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रेशमा वल्द सुमरा खां
2. दमी पत्नी सुमरा खां
3. इबरे खां पुत्र नेकु खां
4. गफुर खां पुत्र जोसब
5. करीम खां पुत्र जोसब खां
6. मोजी खां पुत्र जोसब खां
7. जमाल खां पुत्र जोसब खां
8. गैनी पत्नि जोसब खां
9. मिसरो पत्नी सुमान खां
10. मेगा खां पुत्र इमाम खां
11. आरब खां पुत्र जला खां
12. सुगरो पत्नी जला खां
13. हासम खां पुत्र भंवरा खां
14. नेकु खां पुत्र भंवरा खां
15. गफुर खां पुत्र भंवरा खां
16. सलीम खां भंवरा खा
17. पठान पुत्र भंवरां खां
18. हनीफ पुत्र भंवरा खां
19. जमी पत्नि भंवरा खां
20. रिमजा पुत्र रहीम खां
21. सतार खां पुत्र वका खां
22. साहु खां पुत्र वंका खां
23. रोशन खां पुत्र वंका खां
24. जगमाल खां पुत्र दावद खां
25. कादर खां पुत्रदावद खां
26. हयात खां पुत्र निबे खां
27. भले खां पुत्र निबे खां
28. नूरे खां पुत्र हमीर खां
29. गनी खां पुत्र बगसे खां
30. सफी खां पुत्र बगसे खां
31. हकीम खां पुत्र [illegible] मुलसमान
32. मोहनराम पुत्र उम्मेद[illegible]
33. गुमना पुत्र उम्मेदराम
34. पारस पुत्र उम्मेदाराम [illegible] निवासीयान – खनोडा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
35. राजस्थान सरकार जरिये [illegible]सीलदारा पचपदरा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:11:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

Scanned with CamScanner

उपस्थित :—श्री रूघाराम प्रार्थीगण वकील
श्री जोगेन्द्र सिंह विप्रार्थीगण वकील

'आदेश' दिनांक :— 21.01.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा खनोडा पटवार हल्का खनोडा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडनावा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में आयी हुई है ,प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 34 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 34 प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि की सीमाओ की बाउण्ड्री को लेकर भारी संशय व्याप्त है। विप्रार्थीगण सं. 1 ता 34 नाजायज तौर से प्रार्थीगण के खेत की सेढा माठ को तोडते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा करने पर आमदा है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दिनांक 18.02.2020 दर्ज कर विप्रार्थीगण सम्मन जारी किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 01, 2, 11 ता 13, 15, 17,18, 21, 23 की वकील उपस्थित ने जबाब हेतु अवसर चाहा गया लेकिन जबाब हेतु अवसर देने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं किया गया । दीगर विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस रसीदे पेश होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । प्रार्थी नसीर खां की ओर से दिनांक 21.01.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आराजी भूमि में सीमाज्ञान व पत्थर गढ़ी व नेखमबंदी करवाने हेतु निवेदन किया गया ।

दोनो पक्षों वकील की बहस को सुना [illegible] गण के वक्त काश्त प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ [illegible] प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार [illegible] के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:41:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर प्रार्थी की खातेदारी खेत संख्या 325/223 रकबा 37.10 बीघा सरहद मौजा खनौडा की विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक बडनावा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि नेखमबंदी करने से पूर्व एक तारीख निश्चित कर दोनो पक्षकारान को सूचित करवा कर वे दोनो पक्षों की उपस्थिति में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है। भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रूपये नियत किये जाते है। जिसे प्रार्थी कमिश्नर शुल्क अदा करें । पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा(राज.)

आज दिनांक 21.01.2021 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:41:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner